न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–101 / 2017

राम प्रवेश सिंह वगैरह ....वादीगण

बनाम

राज किशोर सिंह वगैरह..प्रतिवादीगण

06.02.24 अभिलेख आज वादी की ओर से वादपत्र संशोधन आवेदन दिनांक–11.08.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय आदेश दिनांक–09.01.2024 के द्वारा प्रतिवादी को उपरोक्त आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल करने से वंचित किया गया है।

अपने आवेदन में वादीगणों ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद को देखने से तथा मुख्य परीक्षण तैयार करते समय यह जानकारी हुई कि वादपत्र में टंकक भूल के कारण कुछ शब्द गलत टंकित हो गया है जिसमें वादी सं0–3 राम सरेख सिंह के पिता के नाम सुरेन्द्र सिंह की जगह विकलू सिंह दर्ज हो गया है जिसे संशोधन के द्वारा सुधार किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है जिससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही प्रतिवादी के हित को क्षति पहुँचेगा। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है। अतः प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृत करते हुए वादपत्र में सुधार करने की कृपा प्रदान की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा है तथा वादी द्वारा दाखिल प्रस्तावित संशोधन में नाम संबंधी त्रुटियॉ है जिसमें वादी सं0–3 के पिता का नाम सुरेन्द्र सिंह की जगह विकलू सिंह दर्ज होना उल्लिखित है जो टंकक भूल है एवं औपचारिक प्रकृति का है तथा प्रस्तावित संशोधन किसी प्रकार से प्रतिवादी के हितों के विरुद्ध नहीं है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है तथा प्रतिवादी को उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में प्रत्युत्तर दाखिल करने से वंचित किया गया है। उपरोक्त संशोधन उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है वादी को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर वादपत्र में प्रस्तावित संशोधन दर्ज करें।

अभिलेख दिनांक– 02-04-2024 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।
6/2/24